भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *118

उत्तर देने की तारीख: 09.02.2023

खादी कारीगरों द्वारा सौर चरखे का उपयोग

***118. श्री जुगल किशोर शर्माः**
श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी कारीगरों के लिए आजीविका उत्पन्न करने और खादी को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सौर चरखे के उपयोग से कारीगरों के श्रम को कम करने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर मजदूरी मिलने की संभावना है तथा सौर चरखे के माध्यम से खादी के उत्पादन में वृद्धि भी हो सकेगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का सौर चरखा के माध्यम से खादी बनाने पर राजसहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.02.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *118 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी विकास योजना (केवीवाई) के घटक के अन्तर्गत खादी कारीगरों की आजीविका को सहायता देने के लिए कई उपाय शुरु किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए): एमएमडीए के अन्तर्गत, खादी श्रमिकों और संस्थानों को खादी की मूल लागत के 35% पर प्रोत्साहन के रूप में सहायता दी जाती है। इस सहायता का हिस्सा खादी कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में 35%, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में 14% और खादी संस्थानों (केआई) के हिस्से के रूप में 51% है।

ii. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम: इस घटक के अन्तर्गत, व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए प्रति कारीगर 1,20,000/- रु. की वित्तीय सहायता और समूह वर्कशेड के निर्माण हेतु प्रति कारीगर 80,000/- रू. अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे है।

iii. कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता: यह घटक कमजोर खादी संस्थानों को सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रति खादी संस्थान को 15 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा,खादी संस्थानों/विभागीय बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण के लिए प्रति बिक्री केन्द्र को 25 लाख रु. की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

iv. कारीगर कल्याण कोष ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी): खादी संस्थान अपने योगदान के रूप में कारीगरों की आय का 12% एकत्र करते हैं और खादी कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए खादी संस्थान के बराबर अंशदान राशि जमा करते हैं।

खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए, केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अंतर्गत, खादी को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने के लिए 'खादी मार्क' शुरू किया गया है जो गारंटी के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी मूल्यों को दर्शाता है।

ii. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादों और समकालीन कपडे बनाने, वैश्विक मानकों के लिए मानक डिजाइन प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए हब और स्पोक मॉडल पर हब के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली के साथ तथा एनआईएफटी, अहमदाबाद, बेंगलुरू, कोलकाता और शिलाँग तथा खादी के लिए उत्कृष्टता केंन्द्र की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा, खादी उत्पादों के लिए दृश्य बिक्री और पैकेजिंग सृजित करने और इसकी वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों को आयोजित करके नई खादी की ब्रांडिंग और प्रचार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखे के उपयोग से कारीगरों की मेहनत को कम करने के साथ सौर वस्त्र का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिससे उनकी कमाई में वृद्धि हो सकती है।

(ग) सौर वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रति परियोजना 9.60 करोड़ रू. की पूंजीगत सब्सिडी के साथ प्रति परियोजना 20.42 करोड़ रू. के परियोजना परिव्यय के साथ 4 प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(घ) सौर चरखे के माध्यम से उत्पादित धागे से बने कपड़े को ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। केवीआईसी अधिनियम 2(घ) के अनुसार, 'खादी' की परिभाषा का अर्थ भारत में कपास, रेशम या ऊनी धागे या किसी भी दो या ऐसे सभी धागे के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा है, जो भारत में हाथ से काता जाता है। चूंकि सौर चरखे के माध्यम से कपड़े के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूत हाथ से नहीं काता जाता है, इसलिए, केवीआईसी सोलर चरखे से कपड़ा बनाने पर कोई सब्सिडी नहीं देता है। तथापि, सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना के लिए पूंजी निवेश पर मशीनरी की लागत पर 35% सब्सिडी और वर्कशेड, सौर ग्रिड और क्षमता निर्माण की लागत पर 100% सब्सिडी के रूप में निर्धारित सीमा तक सब्सिडी दी जाती है।

*****